१७. प्रत्यावर्त्तन आयोग ने दोनों कमानों को अपनी अन्तिम रिपोर्ट २१ फरवरी को दे दी थी। और यह आयोग २२ फरवरी को खत्म हो गया था। प्रत्यावर्त्तन आयोग की दोनों रिपोर्टें इस समय छापी जा रही हैं और शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेंगी। भारत में लाये गये अट्ठासी युद्धबन्दियों को अन्य देशों को भेजने के अतिरिक्त कोरिया में भारत को दिये गये उत्तरदायित्व समाप्त हो गये हैं। युद्धबन्दियों के प्रत्यावर्त्तन के प्रश्न को तय करने में सहायता देने के अभिप्राय से भारत ने दोनों कमानों के कहने पर इन उत्तरदायित्वों को स्वीकार किया था। इस प्रश्न पर दोनों कमानों के बीच मतभेद होने के कारण युद्ध विराम संधि पर एक वर्ष से अधिक समय तक हस्ताक्षर नहीं किये जा सके। अन्त में एक समझौता हुआ जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ को महा सभा के सातवें अधिवेशन में भारत द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रस्तावों पर आधारित था।

१८. कोरिया में भारत के प्रतिनिधियों को जटिल समस्या का सामना करना पड़ा और दोनों कमानों में मतभेद होने के कारण उनकी कठिनाइयां और अधिक बढ़ गई थीं। इस कठिन तथा नाजुक कार्य को करने में आयोग तथा संरक्षक कटक के भारतीय प्रतिनिधियों ने कर्त्तव्य परायणता प्रदर्शित की। अनक विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने धैर्य, अपनी कार्य कुशलता तथा अपनी दृढ़ता के कारण उन सब का सम्मान प्राप्त हुआ जो उनके सम्पर्क में आये।

कोरिया के सम्बन्ध में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैंने जो वक्तव्य सदन पटल पर रखा है, वह काफ़ी लम्बा है और मैं इसे सारा पढ़ कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। यह एक तथ्य सम्बन्धी विवरण है और इस में कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, जिसे माननीय सदस्य नहीं जानते था जो समय समय पर प्रेस में प्रकाशित नहीं हो चुकी। वास्तव में इस में यह बतलाया गया है कि गत दिसम्बर के बाद जब कि मैं ने इस सदन में एक वक्तव्य दिया था, कोरिया में हमारे सैनिकों को क्या क्या करना पड़ा है। अब जहां तक तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग का सम्बन्ध है, यह अध्याय लगभग समाप्त हो चुका है।

एक मामला जो शेष है, यह है कि दिल्ली में हमारे पास ८८ पुराने युद्ध बन्दी हैं, जिन्हें हम संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से--अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघ कमान की ओर से नहीं, बल्कि न्यूयार्क संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की ओर से—रखे हुए हैं। हम ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से पूछा है कि इन के सम्बन्ध में हमें क्या करना है।

ये ८८ व्यक्ति वे हैं, जिन्हों ने प्रत्यावर्तित होने से इन्कार कर दिया था और अपने पुराने निरोधक पक्षों के पास वापस जाने से भी इन्कार कर दिया था। इन ८८ में से २ दक्षिणी कैम्प के हैं और ८६ उत्तरी कैम्प के। इन्हों ने पहले विभिन्न तटस्थ देशों को जाने की इच्छा प्रकट की थी और तटस्थ देशों में भारत का नाम भी था। किन्तु वे तब तक तटस्थ देशों को नहीं भेजे जा सकते थे, जब तक कि वे देश उन्हें लेना स्वीकार न करें और उन्हें भेजने के लिए प्रबन्ध न किये जायें।

उस समय उन में से कुछ बन्दी कहते थे कि वे अमेरिका जाना चाहते हैं, किन्तु अमेरिका तटस्थ देश नहीं है इस लिए उन्हें वहां नहीं भेजा जा सका। इन कठिनाइयों को दूर नहीं किया जा सका था। हमारे संरक्षक कटक के वापस आने से पहले हम ने यह चीज़ उन्हें बतलाई थी। हम ने फिर कहा कि या तो हम

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उन्हें अपने घरों को वापस भेज सकते हैं या उन्हें संयुक्त राष्ट्र कमान को सौंप सकते हैं। उन में कुछ बन्दियों ने कहा था कि वे संयुक्त राष्ट्र कमान के पास जाने के लिए तैयार हैं, किन्तु इस शर्त पर कि उन्हें पहले यह आश्वासन और गारंटी दी जाये कि उन्हें उत्तरी कोरिया सरकार या फ़ारमोसा की सरकार के हवाले नहीं किया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र कमान यह गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था और वास्तव में उस ने उन से यह कहा था : "हमारे पास आते ही, हम आप को रिहा कर देंगे और आप जहां चाहें जा सकते हैं"। परिणाम यह था कि हमारे पास विकल्प यह था कि या तो हम उन्हें कैम्प में छोड़ कर चले आते या उन्हें अपने साथ ले आते। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि हम जाने वाले हैं, तो कुछ बन्दियों को बहुत शंका हुई कि वे पीछे रह जायेंगे और कुछ एक ने तो आत्महत्या करने की धमकी भी दी। वे कहने लगे कि "यदि आप चले गये, तो हम यहां सुरक्षित नहीं होंगे, इस लिए हमारे लिए आत्म-हत्या कर लेना ही उचित होगा"। हो सकता है कि यह केवल बेकार की धमकी थी किन्तु हम उन्हें कठिनाई में छोड़ कर नहीं आ सकते थे, इसलिए हम उन्हें अपने साथ यहां ले आये और इस समय वे हमारे पास ही हैं।

हम न्यूयार्क के संयुक्त राष्ट्र प्रधान कार्यालय से पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि इन के सम्बन्ध में क्या किया जाय। इस के साथ, तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्त्तन आयोग और संरक्षक कटक के सम्बन्ध में कोरिया में हमारा जो काम था, वह लगभग समाप्त हो जाता है। मुझे विश्वास है कि सदन मुझे यह अनुमति देगा कि मैं पहले की तरह उस की ओर से कोरिया में हमारे प्रतिनिधियों के कार्य की सराहना करूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : श्रीमान्, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चतुर्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। **[[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस– ८०।५४]**

सदन पटल पर रखे गये पत्र

१९५१-५२ के लिये दामोदर घाटी निगम की रिपोर्ट का पहला भाग १९५४-५५ के लिये दामोदर घाटी निगम के आय व्ययक प्राक्कलन

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : श्रीमान्, दामोदर घाटी निगम अधिनियम १९४८ की धारा ४५ की उपधारा (५) के अन्तर्गत, मैं वर्ष १९५१–५२ के लिए दामोदर घाटी निगम की रिपोर्ट के पहले भाग की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस––७६।५४]**

दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत मैं १९५४–५५ के लिए दामोदर घाटी आय-व्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति भी पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकाल में रखी गई। देखिये संख्या एस–७७।५४).**

सामान्य आयव्ययक----सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० एम० टामस अपना भाषण जारी रखें।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्) पहले मैं इस बात की ओर निर्देश कर रहा था कि आवंटित राशि भी पूरी खर्च नहीं की